

बिहार सरकार
कृषि विभाग

①

प्रेस नोट

बिहार राज्य के विभाजन के उपरान्त उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लोगों की जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, फसल बीमा, कृषि यांत्रिकीकरण, उपादान समेत अनेकों कृषि योजनाओं का लाभ युक्तियुक्त रूप से प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमतापूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए लिपिक संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

राज्य में लिपिक संवर्ग (अराजपत्रित) के रिक्त पदों को नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से बिहार कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2024 के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत पद का समर्पण/प्रत्यर्पण/सम्परिवर्तन तथा नया पदसृजन एवं संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) के अधीन स्वीकृत पदों का समर्पण/प्रत्यर्पण किया जा रहा है।

he
26/3

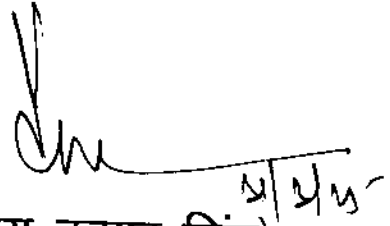
(संजय कुमार अग्रवाल),
सरकार के सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(2)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

श्री सुधीर कुमार, (बि०न०से०), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, (ग्रेड पे रू० ४६००/- सम्प्रति वेतन स्तर-७), नगर परिषद, नरकटियागंज सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर का कार्यालय) को सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी की शास्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।


(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

(3)

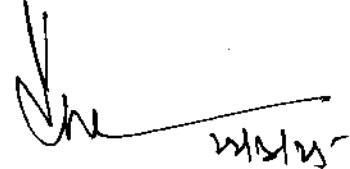
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रू० 1,56,01,32,000/— (एक सौ छप्पन करोड़ एक लाख बत्तीस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बक्सर जलापूर्ति परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

बक्सर जलापूर्ति परियोजना अंतर्गत 16603 गृह जल संयोजन हेतु 10 ट्यूबवेल, 10 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पम्प हाउस, 4 जलमीनार, 4 जलमीनार कैम्पस, 10.20 कि०मी० राइजिंग मेन एवं 236.00 कि०मी० जल वितरण नेटवर्क का कार्य किया जायेगा, जिससे बक्सर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी।



(अभय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।

Amr

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

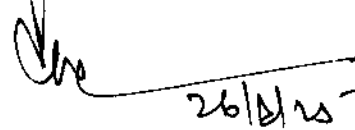
4

॥ प्रेस नोट ॥

केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत मोतिहारी सिवरेज नेटवर्क परियोजना हेतु लागत राशि रू० 3,99,87,28,000/- (तीन सौ निन्यानवे करोड़ सत्तासी लाख अट्ठाईस हजार रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मोतिहारी सिवरेज नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य :-

मोतिहारी सिवरेज नेटवर्क परियोजना में 32 वार्डों के 30000 गृह को सिवरेज नेटवर्क से जोड़ने के लिए 187 कि०मी० सिवरेज नेटवर्क, 4 मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन एवं 0.800 कि०मी० राइजिंग मेन का कार्य किया जायेगा, जिससे मोतिहारी शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को सिवरेज नेटवर्क सुविधा प्राप्त होगी।



(अमय कुमार सिंह),

सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार, पटना।



3

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेस नोट

विभाग के अधीन पूर्व से स्वीकृत 09 उत्पाद रसायन प्रयोगशाला के अतिरिक्त रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगुसराय, किशनगंज एवं गोपालगंज जिला में 06 नए उत्पाद रसायन प्रयोगशाला तथा उक्त प्रयोगशालाओं के लिये कुल 48 नए पदों का सृजन का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव की स्वीकृति से राज्य में छः नये उत्पाद रसायन प्रयोगशाला तथा 48 विभिन्न पदों का सृजन होगा। इससे उत्पाद रसायन प्रयोगशाला का सुदृढीकरण होगा, जिससे राज्य के मद्यनिषेध नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों को नियमानुसार ससमय सजा दिलाने हेतु जब्त किये गये प्रदर्श का शीघ्र जाँच कराया जा सकेगा। जाँच हेतु प्राप्त उत्पाद प्रदर्शों के परिवहन में आने वाली समस्याओं का भी निराकरण होगा। इससे संबंधित अवैध शराब कारोबारियों को बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अधीन ससमय सजा दिलाया जा सकेगा। राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों या देश की सीमा साझा करने वाले जिलों में दर्ज मद्यनिषेध से संबंधितवादों के अनुसंधान में भी सुविधा होगी।

नए प्रयोगशाला के लिये सृजित किये जाने वाले 48 पदों से राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

(विनोद सिंह गुंजियाल)

सरकार के सचिव,

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

6

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

नवादा जिलान्तर्गत अंचल-पकरीबरावाँ, मौजा-कचना, थाना सं०-59, खाता सं०-606 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा-6.27 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि 132/33-के०वी० ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 5,64,30,000/- (पाँच करोड़ चौसठ लाख तीस हजार) रुपये के भुगतान पर बिहार स्टेट ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (जय सिंह)

पदनाम :- सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत संचालित सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सेवा लागू करने हेतु आवश्यक आधुनिक उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन पर कुल 38,12,10,210.00 (अड़तीस करोड़ बारह लाख दस हजार दो सौ दस) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत संचालित सभी 927 राजस्व न्यायालयों को ऑनलाईन किये जाने हेतु आवश्यक उपकरण यथा— कम्प्यूटर, प्रिन्टर इत्यादि की आपूर्ति DILRMP योजना के अन्तर्गत Computerization of Revenue Court Management System के क्रियान्वयन हेतु किया गया है तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं को लागू करके राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य एवं लाभ निम्न प्रकार है :-

1. इस पहल का उद्देश्य अदालती कार्यवाही की दक्षता और पहुंच को बढ़ाना है, जिससे शिकायतकर्ता एवं विभाग दोनों को लाभ होगा।
2. हाईब्रिड कोटरूम में व्यक्ति और वर्चुअल सुनवाई की संयुक्त व्यवस्था की जाती है, जिससे शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता तथा विभाग को उपयुक्त विकल्प चुनने में मदद मिलता है।
3. बड़ी हुई पहुंच के कारण शिकायतकर्ता और गवाह दूर से ही सुनवाई में भाग ले सकते हैं, जिससे यात्रा का समय और लागत दोनों की बचत होगी।
4. वर्चुअल सुनवाई को अधिक लचीले रूप से शुड्यूल किया जा सकता है, जिससे सुनवाई में तेजी आती है।
5. भौतिक बुनियादी ढाँचे और यात्रा व्यय की आवश्यकता में कमी आती है।
6. शारीरिक सम्पर्क को न्यूनतम किया जा सकता है, जो महामारी जैसे स्वास्थ्य संकटों के दौरान आवश्यक है।
7. सुनवाई के डिजिटल रिकॉर्डिंग को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर :

नाम : (जय सिंह),

पदनाम : सचिव।

8

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस-नोट

“बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा इंट्री ऑपरेटर (पे लेवल 4) के कुल 29 (उन्तीस) एवं कार्यालय परिचारी (पे लेवल 1) के कुल 06 (छः) अर्थात् कुल 35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।”

Mejw
27.3.2025
(डॉ. बी. राजेन्द्र)
अपर मुख्य सचिव।

संचिका संख्या : 09/बि0वि0प0स0-03/2025
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2013) में प्रावधानित संबद्धता के मानकों को पूर्ण करने हेतु राज्य के अनुदानित 626 माध्यमिक विद्यालयों (अनुलग्नक-1) को एक वर्ष (31.03.2026 तक) के लिए अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली, 2011 (यथा संशोधित, 2013) में प्रावधानित संबद्धता के मानकों को पूरा करने हेतु 626 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों को एक वर्ष का समय मिल सकेगा।

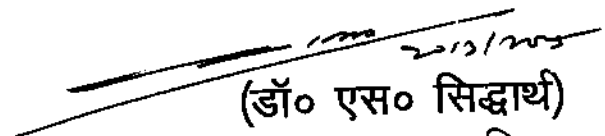
(अजय यादव)
सचिव
शिक्षा विभाग।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

10

प्रेस नोट

राज्य में संचालित प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं विद्यालयों के सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तर पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना विकसित करने के उद्देश्य से "बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली-2025" का गठन किया गया है।


(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

483 (आ. फ. ५.)

21.3.2025

23/50

सं०सं०-16/यू.1-08/2021

प्रेस नोट

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

डा० तबरेज अख्तर, प्राध्यापक, मोनाफेउल आजा विभाग-सह-प्रभारी प्राचार्य, राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(ix) के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में।



(मनोज कुमार सिंह)

सचिव, स्वास्थ्य

22/3/25

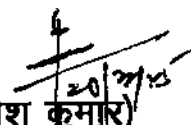
प्रेस नोट
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

12
27/50

सं0सं0-9/आ0-04-07/2023

डा0 रमण राज रमण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय को दिनांक-19.12.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-494(9) दिनांक-16.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय पत्रांक-866(9) दिनांक-24.08.2023 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की माँग की गयी। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-31.08.2023 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डा0 रमण को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-4108 दिनांक-29.01.2025 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा डा0 रमण राज रमण, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बखरी, बेगूसराय को दिनांक-19.12.2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।


(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

473 (आ.चि.)
20.3.2015
(13)

सं0सं0-16/एम1-37/2016

प्रेस नोट

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विषय :- पचास शैयायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, नवाब मंजिल, पटना के संचालन हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कुल 36(छत्तीस) पदों के सृजन के संबंध में।

4
(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव
10/

280(17)
19-03-25

(14)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

बिहार दंत शिक्षा सेवा (ट्यूटर सहित) सवर्ग नियमावली-2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे बिहार राज्य के सरकारी दंत महाविद्यालयों में दंत चिकित्सक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति एवं प्रोन्नति सम्भव होगा तथा दंत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार होगा।


(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

15

31
55

सं0सं0-10/सदर-02-03/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

गुरुगोविंद सिंह सदर अस्पताल की चहारदिवारी के पीछे एक बड़ी घनी आबादी मोगलपुरा टिकिया टोली, छोटी बाजार फौजदारी कुआँ इत्यादि मोहल्लों में निवास करती है। पूर्व में इन निवासियों द्वारा अस्पताल परिसर से अशोक राजपथ पर आवागमन किया जाता था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अस्पताल की चहारदिवारी के निर्माण के पश्चात इन निवासियों का अशोक राजपथ से संपर्क काफी दुर्गम हो गया है। साथ ही आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस या अग्निशामक वाहन ले जाना भी संभव प्रतीत नहीं होता है।

2. तदनुसार जनहित में तथा आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि) को सुगमतापूर्वक रास्ता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अस्पताल परिसर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से की 11.9 डिसमील भू-खण्ड का उपयोग आम रास्ता के रूप में किये जाने की अनुशंसा जिलाधिकारी, पटना द्वारा की गई है।

3. इससे न केवल अस्पताल के पीछे रहने वाली बड़ी आबादी को लाभ पहुँचेगा बल्कि अस्पताल को भी एक वैकल्पिक मार्ग प्राप्त हो सकेगा।

4. जिलाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में तथा अस्पताल के वैकल्पिक मार्ग को दृष्टिपथ करते हुए गुरुगोविंद सिंह सदर अस्पताल, पटना के परिसर के उपर्युक्त अंश का उपयोग आम रास्ता के रूप उपयोग किये जाने की स्वीकृति जनहित में दी जाती है।


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक— 6471, दिनांक— 05.04.2023 के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा राज्यान्तर्गत सभी तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा अथवा परीक्षा सहित साक्षात्कार के आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। तदालोक में बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली, 2019 के नियम-4 से संबंधित परिशिष्ट के क्रम संख्या — 1, 2, 3 एवं 4 के सम्मुख स्तम्भ 6 को प्रतिस्थापित करते हुए " बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 " के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नियमावली में संशोधन के फलस्वरूप बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न उपसंवर्गों के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर हो सकेंगी।

(मनोज कुमार सिंह)

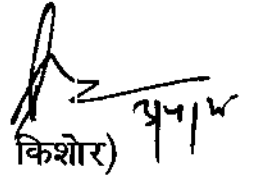
सरकार के सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

विभाग का नाम:- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(17)

प्रेस नोट

अप्रत्याशित संभावित आपदाओं से पीड़ित/प्रभावितों को राहत दिये जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि के ससमय व्यय एवं अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।


(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेस नोट

प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में रक्षित पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों, उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामग्रियों की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131(छ) के आलोक में Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार का उपक्रम) को नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।


(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

प्रेस नोट

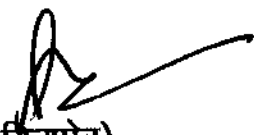
भारत के संविधान के 73वें संशोधन एवं अधिनियम-1992 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार राज्य में 1994, 1999 तथा 2004 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। अप्रैल, 2006 में पुराने अधिनियम को निरसित करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिसूचित किया गया है। इन अधिनियमों की धारा-168 एवं धारा-71 में क्रमशः पंचायतों एवं स्थानीय शहरी निकायों के लिए वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। इनके आलोक में राज्य में चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य शामिल किए गए थे। षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांक-30.04.2021 को अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया गया। आयोग की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-25 तक के लिए लागू किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-2858, दिनांक-13.03.2025 द्वारा सप्तम राज्य वित्त आयोग का गठन माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत किया गया है। आयोग के गठन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। आयोग की संरचना निम्नवत् है:-

- | | |
|--|-----------|
| (i) श्री अशोक कुमार चौधरी (से0नि0 भा0प्र0से0) | - अध्यक्ष |
| (ii) श्री अनिल कुमार (से0नि0 बि0प्र0से0) | - सदस्य |
| (iii) डॉ0 कुमुदिनी सिन्हा, से0नि0 विभागाध्यक्ष | - सदस्य |
| अर्थशास्त्र संकाय, पटना विश्वविद्यालय | |

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति की तिथि से क्रमशः मंत्री एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा।

आयोग पंचायतों (जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए राज्य के शुद्ध आगम के वितरण एवं उन्हें अनुदान स्वरूप राशि देने के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।


(आनंद किशोर)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

20

प्रेस नोट

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अंचल-कुढ़नी, मौजा-चढ़ुआ, थाना सं०-265, खाता सं०-1347, खेसरा सं०-3359 की कुल प्रस्तावित रकबा-5.07 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण किस्म-शिव स्थान की भूमि पर 100 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-2,09,25,918/- (दो करोड़ नौ लाख पचीस हजार नौ सौ अठारह) रुपये के भुगतान पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

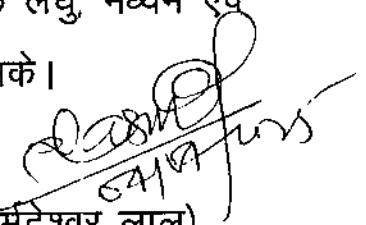
पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

(21)

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

प्रेस नोट

कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को कोयला की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० को पाँच वर्ष के लिए (दिनांक-01.04.2025 से 31.03.2030 तक) राज्य नामित एजेंसी (State Nominated Agency) नामित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध करायी जा सके।


(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव

१२/

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

22

प्रेस-नोट

बिहार के माननीय राज्य मंत्री एवं उप मंत्री के लिए अनुमान्य वेतन एवं भत्तों में संशोधन करते हुए निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

- (i) वेतन रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 65,000/-
- (ii) क्षेत्रीय भत्ता रू0 55,000/- से बढ़ाकर रू0 70,000/-
- (iii) दैनिक भत्ता रू0 3,000/- से बढ़ाकर रू0 3,500/-
- (iv) राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता रू0 24,000/- से बढ़ाकर रू0 29,500/- तथा उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता रू0 23,500/- से बढ़ाकर रू0 29,000/-
- (v) सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान्य यात्रा भत्ता 15 रू0 प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 रू0 प्रति किलोमीटर किया गया है।



07/04/25

(सुमन कुमार)

सरकार के अपर सचिव

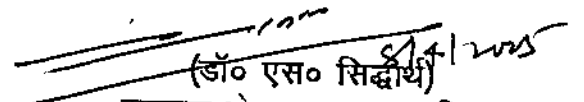
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय)

23

प्रेस नोट

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के अन्तर्गत "बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली-2016" के अधीन मूल कोटि के पद सहायक उर्दू अनुवादक (वेतन स्तर-05) के बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों यथा समाहरणालयों (जिला उर्दू भाषा कोषांग), अनुमंडल कार्यालयों, प्रखंड कार्यालयों एवं अंचल कार्यालयों के लिए पूर्व से सृजित कुल-1653 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल-3306 पद का सृजन होगा। उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप कुल-₹2,13,47,89,992/- (दो अरब तेरह करोड़ सैंतालीस लाख नवासी हजार नौ सौ बेलानवे) रुपये की राशि का वार्षिक व्यय अनुमानित है।

बिहार राज्य के विभिन्न कार्यालयों में सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त पदों के सृजन से राज्य की द्वितीय राजभाषा (उर्दू) के विकास एवं प्रचार-प्रसार में गुणोत्तर वृद्धि होगी।


(डॉ० एस० सिद्दीक़ी)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

24

प्रेस नोट

मंत्रिपरिषद् की दिनांक 04.02.2025 की बैठक में मद संख्या-52 एवं मद संख्या-53 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में निर्गत संकल्प संख्या-299 दिनांक 27.02.2025 एवं संकल्प संख्या-300 दिनांक-27.02.2025 को निरस्त करते हुए कार्यहित में शिक्षा विभाग अंतर्गत परामर्शी के 02 (दो) पदों का सृजन करते हुए उक्त दोनों पदों के विरुद्ध श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0 (2007), तत्कालीन सचिव, शिक्षा विभाग एवं श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), तत्कालीन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.03.2025 के प्रभाव से अगले 01 (एक) वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी, शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

7/4/2025
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग।

23
23/55

सं0सं0-10/विविध-16-33/2023

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं के उत्तरोत्तर विकास हेतु कृत संकल्पित है। लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र तथा स्वास्थ्य सेवाएँ प्रक्षेत्र की अलग-अलग चुनौतियाँ, कौशल एवं विशेषज्ञता की आवश्यकताओं को दृष्टिपथ रखते हुए प्रशासनिक सुगमता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन हेतु आधुनिक चिकित्सा विधा में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत तीन निदेशालय, यथा—(क) लोक स्वास्थ्य निदेशालय (Public Health Directorate), (ख) स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय (Health Services Directorate) एवं (ग) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (Medical Education Directorate) के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन के संवर्ग का सृजन (स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय अंतर्गत) तथा अन्य आवश्यक संवर्गों का गठन/पुर्नगठन के साथ-साथ आवश्यक विभिन्न स्तर के 20,016 (बीस हजार सोलह) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।


(शंभु शरण)

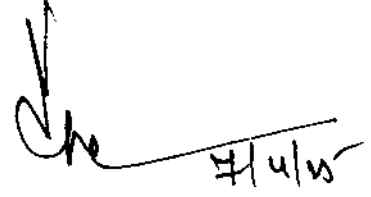
सरकार के अपर सचिव

25

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के नगर निकायों के बकाए विद्युत विपत्रों के मुग्तान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल 301.18 करोड़ रुपये (तीन सौ एक करोड़ अठारह लाख रुपये) मात्र की राशि सहायक अनुदान के रूप में व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

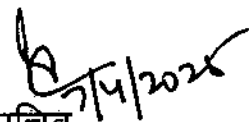


(अमय कुमार सिंह),
सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

प्रेस-नोट

राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक-01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है। उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक-883 दिनांक-29.06.2020 द्वारा इस नीति को 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी किया गया है। एक नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति का सूत्रण प्रक्रियाधीन है। अतः वर्तमान नीति राज्य में नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2025 अधिसूचित होने तक प्रभावी रहेगी।


7/5/2025
सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।